

//104942/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ० प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक ०७ अक्टूबर, 2021

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/एम० एस० डिप्लोमा/एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम० ई०-3/2021/1738, दिनांक 17.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी० जी०-2021 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र-2021-22 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/एम० एस० डिप्लोमा/ एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ के प्रस्ताव के दृष्टिगत नीट पी० जी० 2021 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ० प्र० या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा एन० आई० सी० के सहयोग से तैयार की जाय।

2. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-

नीट पी० जी० 2021 की स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत सीटें राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों की एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्नातकोत्तर सीटों हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के० जी० एम० यू०, लखनऊ तथा डा० राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। डा० बी० डी० सिंह इसके संयोजक होंगे।

3. अर्हताएं (Eligibility)

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी० जी०-2021 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित हुआ हो।
- अभ्यर्थी द्वारा एन० आई० सी० की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर निर्धारित शुल्क जमा करते

I/104942/2021

हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।

- नीट एम 0 डी0 एस 0 2021 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी इण्टर्नशिप 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कर ली हो।
- नीट पीजी 2021 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी इण्टर्नशिप 30 जून 2021 तक पूर्ण कर ली हो।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, संतोष डीम्ड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद (2007 के पश्चात् प्रवेशित) अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष राजकीय क्षेत्र की उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों पर उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल संस्थानों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रदेशों के उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होंने नीट पी0 जी0 2021 की अधिसूचना जारी होने की तिथि नीट पी0 जी0 (एम 0 डी0/एम 0 एस 0/डिप्लोमा)-2021 हेतु दिनांक 23.02.2021 तथा नीट एम 0 डी0 एस 0-2021 हेतु 26.10.2020 तक या उसके पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं। एम 0 सी0 आई 0 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2000, संशोधित मई 2018 के बिन्दु 10 में निम्न व्यवस्था है-

10. PERIOD OF TRAINING

The period of training for the award of various postgraduate degrees or diplomas

shall be as follows:

(1) Doctor of Medicine (M.D.) / Master of Surgery (M.S.)

The period of training for obtaining these degrees shall be three completed

years including the period of examination.

Provided that in the case of students having a recognised two year postgraduate diploma course in the same subject, the period of training, including the period of examination, shall be two year.

4. अनर्हताएं (Not Eligible):-

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेंटल कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होंने नीट पी0 जी0 2021 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (नीट पी0 जी0 (एम 0 डी0/एम 0 एस 0/ डिप्लोमा)-2021 हेतु दिनांक 23.02.2021 तथा नीट एम 0 डी0 एस 0-2021 हेतु 26.10.2020 के पश्चात् अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम 0 बी0 बी0 एस 0/बी0 डी0 एस 0 परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, संतोष डीम्ड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद (वर्ष 2007 के बाद प्रवेशित) एवं उ 0 प्र 0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

I/104942/2021

- पी0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी वह राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

*उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु के क्रम में डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. समय-सारणी-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा काउंसिलिंग के संबंध में निर्गत समय-सारणी के दृष्टिगत प्रदेश में नीट पी0 जी0 2021 की काउंसिलिंग हेतु समय-सारणी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी।

6. पंजीकरण शुल्क-

नीट पी0 जी0 2021 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी दोनो चक्रों (प्रथम व द्वितीय) की काउंसिलिंग हेतु जमा कराया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो भी उसे रु० 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (non refundable) होगा।

मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मॉप अप राउण्ड हेतु रु० 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (non refundable) होगा।

7. धरोहर धनराशि (Security Money)-

धरोहर धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् की जाती है:-

- (क) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज हेतु- रु० 30000/-
- (ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हेतु- रु० 2.00 लाख
- (ग) निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज हेतु- रु० 1.00 लाख

8. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

(क) यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेंटल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात्:-

(1) अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहता है (त्याग पत्र के समय अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग 24.09.2021 से प्रारम्भ होनी है, तो अभ्यर्थी 21.09.2021 को सायं 4.00 बजे तक) अपनी सीट से त्याग पत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाएगा:-

I/104942/2021

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (**Security Money**) वापस देय होगी।
- निजी क्षेत्र मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (**Security Money**) वापस देय होगी।

(II) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (द्वितीय चक्र की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पहले) से पूर्व त्याग पत्र देता है तो ऐसी दशा में जमा की धरोहर धनराशि (**Security Money**) जब्त कर ली जायेगी तथा शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस किया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात त्याग पत्र दिया जाता है तो ऐसी दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि (**Security Money**) व शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु -

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा व साथ ही साथ रु0 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का बाण्ड प्रभावी मानते हुए उक्त धनराशि सरकार के पक्ष में देय होगी, जिसे अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में जमा कराना होगा।

(ग) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु-

शासनादेश संख्या:-686/71-4-2021-15/2018 टी0 सी0, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के क्रम में प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

माप अप राउण्ड के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/ डेण्टल कालेज को देय होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी उसे जमा करना होगा।

9. प्रवेश प्रक्रिया-

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में-

(अ) सेवा बाण्ड -

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 950/71-2-82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 के क्रम में

I/104942/2021

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेण्ट बॉण्ड निम्न तालिकानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
स्नातकोत्तर (एम 0 डी0/ एम 0 एस 0/ एम 0 डी0 एस 0/ पी0 जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु0 20.00 लाख (पी0 जी0 डिप्लोमा/एम 0 डी0 एस 0 हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

(ब) (I) स्टेट कोटा/आल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय रु0 5,00,000.00 (रु0 पाँच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0, लखनऊ के पक्ष में इस आशय से देय होगा कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो रु0 5,00,000.00 (रु0 पाँच लाख मात्र) का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0, लखनऊ को देय होगा तथा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि वापस नहीं किया जायेगा।

(II) स्टेट कोटा/आल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त समस्त वेतन वापस करना होगा। शासनादेश संख्या- 1332 सेक 14/पाँच-96-250/ 82 टी0 सी0, दिनांक 08 जुलाई, 1996 के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में राज्य चिकित्सा कालेजों या के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में, प्रविष्ट किया गया हो, किसी भिन्न विशेषज्ञता में प्रवेश के लिए पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, पूर्ण नहीं कर लेता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है परन्तु यह कि यदि किसी प्रविष्ट छात्र का त्यागपत्र, सम्बद्ध कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, स्वीकार किया जाता है और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम/अध्ययन के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वृत्तिका/वेतन की सम्पूर्ण धनराशि लौटा देता है, तब ऐसा छात्र पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा परन्तु यह और कि इस उपखण्ड के उपबन्ध ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, जो उसे आवंटित किया गया है।

11. प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों के स्टेट कोटा के सीटों के संबंध में आरक्षण व्यवस्था:-

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार लागू की जानी है।

ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण

I/104942/2021

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी	05 प्रतिशत
-----------------------------	------------

(ख) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट पी0 जी0 2021 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट पी0 जी0 2021 के आवेदन के समय उ0 प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी0 जी0 2021 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ङ.) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम0 बी0 बी0 एस0/बी0 डी0 एस0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0 जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा तथा वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेंगे।

(च) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

(छ) दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

(ज) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

12. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में-

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों का शिक्षण शुल्क पृथक से निर्धारित कर शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

13. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के डोमिसाइल के सम्बन्ध में-

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के साथ ही साथ अन्य राज्यों के निवासियों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।

14. काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में-

नीट पी0 जी0 2021 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रु0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रु0 1,00,000/- जमा कराया जाय।

//104942/2021

15. उत्तर प्रदेश के पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत आदेशों के अनुपालन में पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों को weightage (भारांक) प्रदान करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ को अर्ह चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

16. पी0 सी0 पी0 एण्ड डी0 टी0 एक्ट-1994 के अन्तर्गत सीटों का आवंटन-

प्रदेश में गर्भधारण, पूर्व एवं प्रसव -पूर्व निदान- तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) छः मासिक प्रशिक्षण नियम 2014 के अनुपालन में जारी अधिसूचना संख्या- 527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23.02.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में छः माह के प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित 06 चिकित्सा संस्थानों में सीटें नीट पी0 जी0 2021 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।

17. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा अपने स्तर से काउंसिलिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें शासन स्तर से न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के 01 अधिकारी को नामित किया जायेगा।

18. काउंसिलिंग बोर्ड में अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधियों का नामांकन-

काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है, जिसे यथावत लागू रखा जाए।

19. माप-अप राउण्ड-

वर्ष 2021-22 में माप-अप काउंसिलिंग से संबंधित कार्य किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ के कलाम सेन्टर में सम्पन्न कराया जायेगा।

माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित न हुई हो।

20. काउंसिलिंग से सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों (महानिदेशालय/शासन /एन 0 आई 0 सी0) को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में-

इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77/71-3-1998 दिनांक 31.01.1998 में अंकित कार्मिकों सहित शासन (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4) से संबंधित कार्मिकों को मानदेय देने की कार्यवाही जायेगी।

21. नीट पी0 जी0 (एम 0 डी0/एम 0 एस 0/डिप्लोमा) 2021 में भारत सरकार से दिशा निर्देश अपेक्षित हैं भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

I/104942/2021

संख्या- (1)/71-4-2021-तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ 0 प्र 0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस 0 जी 0 पी 0 जी 0 आई 0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा 0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
7. निदेशक, एन 0 आई 0 सी 0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ 0 प्र 0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ 0 प्र 0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा 0 मुख्यमंत्री, उ 0 प्र 0 शासन।
11. निजी सचिव, मा 0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा 0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by अनिल कुमार सिंह

Date: 07-10-2021 15:11:3

(अनिल कुमार सिंह)
Reason: Approved
संयुक्त सचिव।